

Urban Development and Housing Department, Rajasthan

Press Note

Invitation of objections and suggestions from the general public/stakeholders on conservation of hills in Urban Areas Regulations-2024 (Draft)

In compliance of the orders dated 24.08.2023 and dated 09.05.2024 passed by the Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur in D.B. Civil Writ Petition No. 1374/2019, conservation of hills in Urban Areas Regulations-2024 (Draft) has been prepared as per the recommendation of the committee constituted for amendment in the Hill Conservation Regulations-2018.

This draft is available on the website of Urban Development and Housing Department <https://urban.rajasthan.gov.in> from 05.12.2024 to invite objections/suggestions from the general public/stakeholders. Objections and suggestions on the said draft can be sent to the Chief Town Planner, Rajasthan by e-mail ctp-rj@nic.in till 20.12.2024.

(Vaibhav Galriya)
Principal Secretary

RajKaj Ref
12243270



Signature valid

Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation: Principal Secretary To
Government
Date: 2024.12.05 23:14:31 IST
Reason: Approved

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान

प्रेस—नोट

नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनियम—2024(प्रारूप) पर¹
आमजन/हित धारकों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. 1374/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2023 एवं दिनांक 09.05.2024 की अनुपालना में पहाड़ी संरक्षण विनियम—2018 में संशोधन हेतु गठित कमेटी की अनुशंषा अनुसार पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनियम—2024 (प्रारूप) तैयार किया गया है।

यह प्रारूप आमजन/हित धारकों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की बेबसाईट <https://urban.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 05.12.2024 से उपलब्ध है।

उक्त प्रारूप पर आमजन/हित धारकों द्वारा आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 20.12.2024 तक मुख्य नगर नियोजक राजस्थान को ई—मेल ctp-rj@gov.in पर प्रेषित किये जा सकते हैं।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref
12243380



Signature valid

Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2024.12.05 23:15:12 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प. 18(10) नविवि / Hill Policy / 2024

जयपुर, दिनांक:—

अधिसूचना

नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनियम—2024

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा विस्तार :—

- 1.1 यह विनियम “नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण विनियम—2024” कहलायेंगे।
- 1.2 यह विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 1.3 यह विनियम राजस्थान राज्य के अधिधोषित नगरीय क्षेत्र (माउन्ट आबू इकोसेंसिटिव जोन के अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर) में प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं :—

- इन विनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, —
- 2.1 “पहाड़” से अभिप्राय ऐसे भू-क्षेत्र से है जो अपने आस-पास के धरातल से शंखाकार अथवा वृत्ताकार आकृति में ऊपर उठा हुआ है एवं जिसकी क्रेस्टलाइन हो।
 - 2.2 “पहाड़ी/मगरी” से अभिप्राय ऐसे भू-क्षेत्र से है जो अपने आस-पास के धरातल से शंखाकार अथवा वृत्ताकार आकृति में ऊपर उठा हुआ है।
 - 2.3 “नगरीय क्षेत्र” से अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचित नगरीय क्षेत्र अथवा अधिसूचित विकास प्राधिकरण क्षेत्र अथवा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत अधिसूचित नगर पालिका/परिषद्/निगम क्षेत्र से है।
 - 2.4 “बफर क्षेत्र” से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जो कि किसी जलाशय, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र, वन क्षेत्र इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्र से निर्धारित दूरी तक के खुले क्षेत्र से है जिसमें किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण वर्जित है।
 - 2.5 “क्रेस्टलाइन” से अभिप्राय किसी पहाड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र के शीर्ष भाग तथा इससे जुड़े रेखीये श्रृंखला/क्षेत्र से है, जिसकी निरन्तरता हो एवं यह भाग पहाड़ से अपेक्षाकृत कम चौड़ाई का हो।
 - 2.6 “नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय” किसी विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है।
 - 2.7 इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य शब्दों की परिभाषाएं वह ही होगी जो कि नगरीय निकाय के प्रचलित भवन विनियमों में परिभाषित की गई है।

3. पहाड़/पहाड़ी का वर्गीकरण (ढलान आधारित) :-

- 3.1 'अ' श्रेणी (A category) के पहाड़/पहाड़ी से अभिप्राय उस भू-भाग से है जो 8 डिग्री तक के ढलान वाला क्षेत्र हो।
- 3.2 'ब' श्रेणी (B category) के पहाड़/पहाड़ी से अभिप्राय उस पहाड़ी भू-भाग से है जो 'अ' श्रेणी से बाहर का क्षेत्र हो तथा जिसका ढलान 8 डिग्री से अधिक एवं 15 डिग्री तक हो।
- 3.3 'स' श्रेणी (C category) के पहाड़/पहाड़ी से अभिप्राय उस भू-भाग से है जो 'अ' एवं 'ब' श्रेणी से बाहर का क्षेत्र हो तथा जिसका ढलान 15 डिग्री से अधिक हो।

4. 'अ' श्रेणी (A category) के क्षेत्रों में निर्माण के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

- 4.1 'अ' श्रेणी में स्थित नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचित मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भू-उपयोग, भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 एवं उपरोक्त नियमों के क्रम में समय-समय पर जारी राजकीय आदेशों/नियमों/विनियमों के अनुसरण में संपरिवर्तन/रूपान्तरण अनुज्ञेय होंगे।
- 4.2 इस श्रेणी की भूमियों/भू-भाग पर प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञेय होंगे।

5. 'ब' श्रेणी (B category) के क्षेत्रों में निर्माण के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

- 5.1 इस क्षेत्र में पहाड़ों का सरक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न घनत्व की गतिविधियाँ यथा फार्महाउस, एम्यूजमेन्ट पार्क, रिसोर्ट, कैम्पिंग साईट अनुज्ञेय होंगे।
- 5.2 सार्वजनिक उपयोगिताएँ यथा विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित उपयोग भी निम्न घनत्व में रखते हुए अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।
- 5.3 विशिष्ट प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निम्न घनत्व के अन्य उपयोग भी अनुज्ञेय होंगे।
- 5.4 फार्म हाउस उपयोग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर रहेगा तथा अधिकतम भू-आच्छादन क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर एवं अधिकतम ऊँचाई भूतल + 1 मंजिल (अधिकतम ऊँचाई 9 मीटर) अनुज्ञेय होगी।
- 5.5 'ब' श्रेणी में रिसोर्ट हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर रहेगा तथा अधिकतम ऊँचाई 9 मीटर (भूतल + 1) अनुज्ञेय होगी। भू-आच्छादन क्षेत्र अधिकतम 20 प्रतिशत ही देय होगा।
- 5.6 एम्यूजमेन्ट पार्क हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर एवं अधिकतम भू-आच्छादन क्षेत्र 10 प्रतिशत तथा भवन एवं मनोरंजन के उपकरणों/झूलों की अधिकतम ऊँचाई भूतल + 1 मंजिल (अधिकतम ऊँचाई 9 मीटर) रहेगी।
- 5.7 उपरोक्त ऊँचाई के अतिरिक्त प्रस्तावित भवन के टैरेस पर मम्टी/मशीन रूम/वॉटर टैंक आदि संरचनाओं की अधिकतम ऊँचाई 3 मीटर अनुज्ञेय होगी।

- 5.8 इस श्रेणी के प्रस्तावित भवन में बेसमेंट निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
 5.9 इस श्रेणी के प्रस्तावित भवन में स्टील्ट फ्लोर का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
 5.10 उपरोक्त के अतिरिक्त शेष मापदण्ड प्रचलित भवन विनियम अनुसार रहेंगे।

6. 'स' श्रेणी (C category) के क्षेत्रों में निर्माण के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

- 6.1 'स' श्रेणी के अन्तर्गत 15 डिग्री से अधिक के ढलान वाला क्षेत्र होगा जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि एवम् निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
 6.2 इस श्रेणी में सार्वजनिक उपयोगिताएँ यथा विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित उपयोग भी निम्न घनत्व में रखते हुए अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।
 6.3 विशिष्ट प्रकरणों में (निम्न घनत्व के उपयोग) राज्य सरकार द्वारा अनुमति किये जा सकेंगे।

7. निर्माण निषेध क्षेत्र :-

7.1 जल स्रोतों के किनारे बफर :-

नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2023 अनुसार जल निकायों के साथ बफर, जो किसी अधिनियम/संविधि/मास्टर प्लान के तहत अधिसूचित नहीं हैं, जोन हेतु निम्नलिखित प्रावधान है :-

- क) 10 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले नहर/नाला/स्टॉर्म वाटर ड्रेन की परिभाषित सीमा से न्यूनतम 9 मीटर।
- ख) 10 मीटर तक की चौड़ाई वाले नहर/नाला/लघु जल निकायों/स्टॉर्म वाटर ड्रेन की परिभाषित सीमा से न्यूनतम 6 मीटर।
- ग) बावड़ी से सभी तरफ न्यूनतम 6 मीटर।

नोट :-

1. यदि कोई जलाशय सिंचाई विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला परिषद् के क्षेत्राधिकार में हो, तो ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला परिषद् द्वारा एचएफएल/एफटीएल तय किया जाएगा और ऐसे मामलों के लिए इस विभाग से एनओसी प्राप्त की जानी होगी। एचएफएल/एफटीएल सीमा में आने वाली भूमि का संपरिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. ऐसे जलाशय जिनकी राजस्व सीमा निर्धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग/जल संसाधन विभाग द्वारा सीमा निर्धारित की जा सकेगी।
3. यदि नदी/नाला की नहरबंदी की गई है, तो बफर को विकास योजना (मास्टर प्लान/जोनल प्लान/स्कीम प्लान) के अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बफर रखा जायेगा।

- 7.2 वन विभाग द्वारा अधिसूचित वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र एवम् इको-सेंसेटिव जोन में वन विभाग की अधिसूचना अनुसार ही निर्माण अनुमति होंगे।

7.3 राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 की धारा 2(x) के तहत परिभाषित "झील" तथा वन्य जीव अभ्यारण्य/वन एवं पर्यावरण मंत्रालय/वेट लेण्ड/अन्य संबंधित विभागों की अधिसूचनाएँ भी मान्य रहेगी।

8. सभी श्रेणीयों हेतु सामान्य शर्तें/प्रावधान :

- 8.1 'ब' श्रेणी के क्षेत्रों में प्रस्तावित भूमि के कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत भाग में स्थानीय वृक्षों से सघन वृक्षारोपण करना होगा जो कि कम से कम 6 मीटर ऊँचाई ग्रहण कर सके तथा उपरोक्त के अतिरिक्त आन्तरिक सड़कों के सहारे एवं फुटपाथ के सहारे तथा पार्किंग क्षेत्र में वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा।
- 8.2 'अ' एवम् 'ब' श्रेणी के क्षेत्रों में अधिकतम 3 मीटर की खड़ी गहराई तक पहाड़ी का कटाव अनुज्ञेय होगा। साथ ही कटाव से पूर्व विकासकर्ता को कन्टूर प्लान तथा कटिंग व फिलिंग प्लान आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। भवन की कुर्सी तल (प्लिन्थ लेवल) पर विकासकर्ता द्वारा संबंधित निकाय को मौका निरीक्षण हेतु सूचित करना होगा, तथापि सम्बन्धित निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति जारी करने पर ही शेष निर्माण कार्य अनुमत किया जावेगा।
- 8.3 जल—मल निस्तारण हेतु Bio-Digester की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा एवम् किसी भी प्रकार का जल—मल का अपशिष्ट भूखण्ड क्षेत्र से बाहर प्रवाहित नहीं किया जायेगा।
- 8.4 निर्माण के समय प्राकृतिक नालों को किसी भी रूप में अवरुद्ध नहीं किया जावेगा।
- 8.5 समस्त प्रकरणों में समीपीय स्थानीय निकाय के प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक पार्किंग की जानी होगी।
- 8.6 वाहनों की पार्किंग एवं वाहनों का आवागमन आवेदित भूमि के यथासंभव निचले भू—भाग तक ही सीमित करना होगा। पार्किंग की उपलब्धता भूखण्ड में पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक द्वारा स्वयं के स्वामित्व की अन्यत्र समतल भूमि पर भी (250 मीटर की परिधि में) पार्किंग अनुज्ञेय की जा सकेगी। उक्त भूमि का पार्किंग प्लान भी भवन निर्माण स्वीकृति का अभिन्न हिस्सा रहेगा।
- 8.7 किसी नगरीय क्षेत्र के अधिसूचित मास्टर प्लान में दर्शित पहाड़ी वृक्षारोपण क्षेत्र तथा पहाड़ी संरक्षण क्षेत्र में इन प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग ही स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- 8.8 नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास अथवा स्थानीय निकाय (जहां विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास नहीं हो) द्वारा इन विनियमों के लागू होने से छ: माह की अवधि में सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा State Remote Sensing Agency/ Survey of India अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी संस्था के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्रों की 'अ', 'ब' एवम् 'स' श्रेणीयों का निर्धारण तथा विकास योग्य एवं गैर—विकास योग्य (Developable and Non-Developable) क्षेत्र का निर्धारण जी.आई.एस. सोफ्टवेयर (ARC GIS PRO अथवा समकक्ष) आधारित डिजीटल एलिवेशन मॉडल डेटा (5 मीटर रिजोल्यूशन) के माध्यम से किया जाना होगा जिससे कि किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि की संभावना नहीं रहे।

- 8.9 पहाड़ी क्षेत्रों की 'अ', 'ब' एवम् 'स' श्रेणीयों तथा विकास योग्य एवं गैर-विकास योग्य (Developable and Non-Developable) क्षेत्र के निर्धारण पश्चात् इन्हे विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास अथवा स्थानीय निकाय की सक्षम स्तर की बैठक में अनुमोदन करवाया जाना होगा।
- 8.10 गैर-विकास योग्य क्षेत्र में भू-रूपान्तरण/संपरिवर्तन/भू-उपयोग परिवर्तन/भूमि आवंटन राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में प्रकरण की महत्वता के आधार पर ही अनुमत किया जा सकेगा।
- 8.11 नगरीय विकास विभाग द्वारा भविष्य में तैयार किये जाने वाले मास्टर प्लान/जोनल ड्वलपमेंट प्लान के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों की 'अ', 'ब' एवम् 'स' श्रेणीयों का निर्धारण तथा विकास योग्य एवं गैर-विकास योग्य (Developable and Non-Developable) क्षेत्र का निर्धारण किया जाना होगा।
- 8.12 'ब' श्रेणी में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु विकासकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रोजेक्ट की डी.पी.आर., जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर आधारित कन्टूर प्लान (कन्टूर इन्टर्वल अधिकतम 5 मीटर), आवेदित भूमि का सर्व (आवेदित भूमि से 200 मीटर तक), नवीनतम गूगल मानचित्र, सर्व एवं गूगल मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज्ड प्लान, कटिंग/फिलिंग प्लान, ड्रेनेज प्लान, लैंडस्केप प्लान, वर्षा जल संचयन एवं सीवेज ट्रिटमेंट प्लान भी आवश्यक रूप से सम्बन्धित तकनीकीविद् से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। 'ब' श्रेणी में स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।
- 8.13 जल संभरण क्षेत्र (Watershed) के संरक्षण के दृष्टिगत यह आवश्यक होगा कि 'ब' श्रेणी के समस्त प्रोजेक्ट हेतु जल निकास योजना (Drainage Plan) यथासम्भव GIS तकनीक के माध्यम से तैयार करवाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। जल निकासी योजना (Drainage Plan) का अनुमोदन नगरीय निकाय के सम्बन्धित अभियंता (जो कि सहायक अभियंता के स्तर से नीचे नहीं हो) द्वारा किया जाना होगा।
- 8.14 'ब' श्रेणी के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भवनों को ग्रीन रेटिंग एजेन्सी यथा LEED/GRIHA/ASSOCHAM GEM/IGBC/EDGE द्वारा गोल्ड अथवा समतुल्य श्रेणी से प्रमाणित होने पर ही भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
- 8.15 कोई भी निर्माण पहाड़ों की कटी हुई सतह से जोड़ कर नहीं किया जायेगा। टो वॉल का निर्माण आवश्यक होगा जिसका निर्माण कटी हुई सतह से न्यूनतम 1 मीटर दूरी पर ही किया जा सकेगा।
- 8.16 'ब' श्रेणी के पहाड़ों की क्रेस्टलाईन पर भवन निर्माण अनुमत नहीं होगा परन्तु क्रेस्टलाईन पर प्राकृतिक रूप से समतल सतह प्राप्त होने पर राज्य सरकार के द्वारा तकनीकी परीक्षण उपरान्त क्रेस्टलाईन पर भवन निर्माण अनुमत दी जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
- 8.17 सेटबैक्स का निर्धारण भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रचलित भवन विनियम के अनुसार किया जायेगा।

- 8.18 पार्किंग की गणना व अन्य मानदण्ड जिनका उल्लेख इन विनियम में नहीं किया गया है, वह प्रचलित भवन विनियम के अनुसार लागू होंगे।
- 8.19 'ब' श्रेणी के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन हेतु छोटे जलाशय निर्मित किये जाने होंगे जिससे कि वर्षा जल का भूमि में प्राकृतिक रूप से रिसाव/भरण हो सके। साथ ही 2 मीटर तक की ऊँचाई के सुनियोजित तटबंधो का निर्माण भी अनुज्ञेय होगा।
- 8.20 'ब' श्रेणी के समस्त उपयोगों में मुख्य मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य होगी परन्तु मुख्य सड़क से आवेदित भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग (Dedicated Road) न्यूनतम 9 मीटर रखते हुए इन विनियम में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय किये जा सकेंगे एवम् आवेदित भूमि में आन्तरिक पाथ—वे अधिकतम 6 मीटर रखे जा सकेंगे। इस श्रेणी में पहुँच मार्ग (Dedicated Road) एवम् आन्तरिक पाथ—वे हेतु बी.टी. रोड एवम् सी.सी. रोड के स्थान पर ग्रेवल सड़क/स्टोन ब्लॉक/पेवर ब्लॉक से निर्मित सड़कें ही अनुज्ञेय होगी।
- 8.21 स्थानीय निकाय द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए बी.टी. रोड एवम् सी.सी. रोड निर्माण की अनुमति जारी की जा सकेगी।
- 8.22 पहुँच मार्ग का निर्माण समुच्चय रेखा (Contour Lines) के समानान्तर करना होगा एवम् पहुँच मार्ग के किनारे पंक्तिबद्ध रूप से वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8.23 आन्तरिक फुटपाथ/सड़कों का ढाल (Road Gradient) अधिकतम अनुपात 1:10 अनुमत होगा।
- 8.24 आन्तरिक पाथ—वे का निर्माण हेतु स्टोन ब्लॉक्स/ग्रेवल सड़क का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा जिन पर पर्यावरण के दृष्टिगत बैट्री संचालित वाहन/गोल्फ कार्ट का उपयोग किया जा सकेगा।
- 8.25 विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार पहाड़ों के संरक्षण के संबंध में निर्णय लिये जाने बाबत् संबंधित स्थानीय निकाय की ले—आउट प्लान समिति सक्षम होगी।

9. दण्डात्मक व्यवस्था :-

- 9.1 भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकेगा व इसे आंशिक या पूर्णरूप से ध्वस्त किया जा सकेगा जिसकी पुनर्भरण राशि अनुज्ञाधारी से वसूली जाएगी एवम् पूर्व में प्रदत्त निर्माण स्वीकृति को (एक बार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त) अविलम्ब निरस्त किया जा सकता है।
- 9.2 विकासकर्ता द्वारा आवेदन से पूर्व आवेदित भूमि पर/तक किसी भी प्रकार की कटिंग/फिलिंग पाये जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति नहीं दी जावेगी तथा विकासकर्ता पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 9.3 ऐसे किसी पंजीकृत तकनीकीविद् अथवा नगरीय विकास विभाग/न्यास /प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत तकनीकी विशेषज्ञों जिसके द्वारा व्यवसाय की आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाना अथवा सारवान तथ्यों को छुपाये जाना पाया जाता है, के विरुद्ध सक्षम

अधिकारी द्वारा पंजीयन निलम्बित/रद्द किया जा सकेगा एवम् अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

- 9.4 नगरीय निकाय द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवम् विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये नगरीय निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या एवम् किस प्रकार से निर्माण अनुमत किया गया है, यही दर्शाता है।

10. निरसन तथा व्यावृति :-

- 10.1 इन विनियमों के प्रभावशील होने के साथ ही पहाड़ों के संरक्षण हेतु पूर्व प्रचलित विनियम—2018 स्वतः निरस्त हो जावेंगे।
- 10.2 इन विनियमों के प्रभावशील होने पर नगरीय क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभाष होने पर इन विनियम के प्रावधान लागू होंगे।
- 10.3 जिन प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा सम्परिवर्तन आदेश जारी किये जा चुके हैं अथवा पट्टा जारी किया गया हो परन्तु भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई हो, ऐसे प्रकरणों में इन विनियम के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जावेगी परन्तु 'ब' एवं 'स' श्रेणी में इन विनियम के लागू होने से पूर्व यदि आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थागत/अन्य उपयोग की योजनाओं में पट्टे जारी किये गये हो, परन्तु भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई हो, ऐसे प्रकरणों में पट्टे में उल्लेखित उपयोग हेतु अधिकतम ऊँचाई 9 मीटर (भूतल+1 मंजिल) ही अनुज्ञेय होगी।
- 10.4 जिन प्रकरणों में इन विनियम के लागू होने से पूर्व भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा चुकी हो, ऐसे प्रकरणों का संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा पुनर्वालोकन किया जाकर पहाड़ी क्षेत्र में संरक्षण के दृष्टिगत आवश्यक शर्ते अध्यारोपित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति को संशोधित किया जा सकेगा।

(.....)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम
नगरीय विकास विभाग